TRC LAW COLLEGE

(An Autonomous College)

Under Auspices Chaturvedi Harprasad Educational Society

Affiliated to Dr. Ram Manohar LohiaAwadh University, Ayodhya

(Approved by Bar Council of India, New Delhi)

Accredited B+ by NAAC

Notification No: Date: 02.02.2025

शासी निकाय की दिनांक 02 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त विवरण

टी.आर.सी. लॉ कॉलेज की शासी निकाय की बैठक दिनांक 02 फरवरी 2025 दिन रविवार को संस्था में आहूत हुई और उक्त बैठक में एजेंडा के अनुसार चर्चा की गई एवं बैठक मे निम्नाकिंत कार्यवाही सुनिश्चित की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है–:

1. सर्वप्रथम प्राचार्य के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करतें हुये उनके द्वारा सभी सदस्यों का परिचय कराया गया एवं अध्यक्ष महोदय से बैठक शुरू करनें की अनुमति लेकर एजेंडा कें अनुसार चर्चा की शुरूवात करतें हुये एजेंडा के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार संस्था में संचालित कार्यक्रमों (एल.एल.बी–त्रिवर्षीय एव बी.ए.एल.एल.बी.–पंचवर्षीय) की जानकारी देते हुयें अब नयें कार्यक्रमों एल.एल.एम, पी.एच.डी., प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों को नयें सत्र 2025–26 से आरम्भ करनें करनें हेतु प्रस्ताव को प्रस्तुत किया एवं वर्तमान पाठ्यक्रम के अलावा जिन पाठ्यक्रमों को आरंभ करना है उसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करनें के लिए निर्देशित किया गया।

2. उक्त के क्रम में प्रो.(डा.) आनंद विश्वकर्मा एवं प्रो. बी.पी.सिंह जी एवं अन्य सदस्यों ने पूर्व में चल रहें कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर अब स्वायत्तशासी दर्जा के अनुसार कार्यविधि को आगे बढ़ानें हेतु सर्वप्रथम यू.जी.सी एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रपत्रों का अवलोकन करतें हुये, यू.जी.सी. के निर्देशानुसार आवश्यक विभिन्न समितियों के निर्माण करनें एवं अग्रिम कार्यवाही करनें को कहा किं नये सत्र से नये कार्यक्रमों को चालू करनें हेतु सर्वप्रथम समस्त आवश्यक इंफ्रास्टक्चर, शिक्षक एवं गैर शिक्षक सदस्य, नयें कार्यक्रमों का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम संबधित महत्तवपूर्ण समितियोंः अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल सें अनुमोदन करातें हुयें आवश्यक कार्यवाही कर अगली बैठक में प्रस्तुत करनें को कहा एवं नयें कार्यक्रमों की चर्चा में एल.एल.एम– एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय दो अलग–अलग पाठ्यक्रमों को प्रत्येक में 60 सीटों की क्षमता के साथ एवं डिप्लोमा कोर्स के अर्न्तगत– साइबर लॉ, आई.पी.आर, हयूमन राइट्स, कन्जूयमर लॉ कुल 04 (चार) विषयों पर संस्थागत स्तर (ऑफलाइन मोड) पर ही प्रत्येंक डिप्लोमा कोर्स में 40 सीटों कें साथ संचालित करनें हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं शिक्षक एवं गैर–शैक्षिक सदस्य, इंफ्रास्टकचर आवश्यकताओं को पूर्ण करतें हुये सहमति प्रदान की गयी। प्रमाण पत्र कार्यक्रमों को स्वयम् पोर्टल के अर्न्तगत संचालित करनें पर चर्चा की गयी। अगली शासी निकाय की बैठक में नयें कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करनें को कहा गया एवं वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के सबंध में अब स्वायत्तशासी दर्जा के अनुसार पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के संचालन के लियें संस्था की प्रस्तावित विनियमावली एवं अध्यादेश प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसकें बारें में यह कहा गया किं प्रस्तुत विनियमावली एवं अध्यादेश का विस्तृत अवलोकन करनें के पश्चात् ही इस पर अगली बैठक में चर्चा संभव हो सकेंगी, अतः अगली बैठक सें पहले उक्त विनियमावली एवं अध्यादेश के बारें में अध्ययन मण्डल एवं अध्ययन परिषद सें भी सुझाव लेने की बात कही गयी जिससें कि एक सुगठित एंव पारदर्शी विनियमावली एवं अध्यादेश को लागू किया जा सकें।

Sujata Chaturvedi

Vasudev Nagar, Satrikh, Barabanki Uttar Pradesh 225122; +915248272727, +91-8756271333,
+91-8756317444, E-mail- mdtrclc@gmail.com; www.trclc.org

3. एजेंडा के बिन्दु संख्या 2 पर चर्चा करतें हुये सत्र 2025–26 सें पूर्व सें चल रहे कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करनें हेतु शासी निकाय नें अध्ययन परिषद् एवं अध्ययन मण्डल की अध्यक्षता में परिवर्तन का कार्य करनें को कहा एवं अध्ययन मण्डल एवं अध्ययन परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् ही उसका अनुमोदन शासी निकाय के द्वारा होने की बात कही गयी,उक्त कार्य को यथाशीध्र पूर्ण करनें के निर्देश दियें गयें एवं नये कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों के निर्माण हेतु भी अध्ययन मण्डल एवं अध्ययन परिषद् के अध्यक्षता में कार्य करनें को कहा गया एवं समस्त कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम हेतु नये पाठ्यक्रम को तैयार करनें एवं पुराने में संशोधन करनें हेतु अध्ययन परिषद् एवं अध्ययन मण्डल के अनुमोदन का अनिवार्य रूप से होना बताया गया तत्पश्चात् ही अन्य आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुयें ही नयें कार्यक्रमों का संचालन एंव पुरानें में बदलाव के साथ संचालन संभव हो सकेंगा।

4. नयें कार्यक्रमों के संचालन एवं पुरानें कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखतें हुयें पदों का सजृन करतें हुयें विज्ञप्ति प्रकाशित करनें को शासी निकाय के द्वारा कहा गया, जिसमें कि यू.जी.सी के नियमावली के अनुसार ही पदों का भरा जाय एवं असिंसटेट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु कम से कम पॉच वर्ष कें शैक्षणिक अनुभव के साथ पी.एच.डी. डिग्री की अनिवर्यता रखनें को संस्तुति दी गयी।

5. एजेंडा के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्राचार्य नें निकाय के समक्ष अध्ययन परिषद् एवं अध्ययन मण्डल की संरचना का विवरण प्रस्तुत किया जिसमें कि निकाय के द्वार यह कहतें हुयें अनुमोदन दिया गया किं सभी सदस्यों के पद नाम एंव स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोंग के निर्देशानुसार ही गठन को सुनिश्चित किया जाये।

6. उक्त के क्रम में प्राचार्य के द्वारा प्रस्तुत कॉलेज की वर्तमान में चल रही आई.क्यू.ए.सी. समेत विभिन्न आवश्यक समितियों की जानकारी प्रदान की गयी एवं उसमें आपेक्षित संसोधन हेतु अनुमति मांगी गई जिसकों की द्वारा प्रचार्य के द्वारा आवश्यक संशोधन हेतु निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।

7. एजेंडा के बिन्दु संख्या 4 कें अनुक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्तशासी महाविद्यालय के लियें जारी दिशानिर्देश के अनुसार संस्था हेतु वित्त समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया एवं तद्पोरान्त शासी निकाय से डा. सुजीत चतुर्वेदी के नाम को प्राचार्य द्वारा प्रस्तावित किया गया जिसे सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा ध्वनिमत से अनुमोदित किया गया, एवं प्राचार्य द्वारा वरिष्ठ संकाय सदस्य के लिय श्री मंजय यादव और कॉलेज के लेखाधिकारी श्री अनुराग शर्मा के नाम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली के अनुसार प्रस्तावित किया गया, जिसे निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया। लॉ कॉलेज की कार्यप्रणाली का सुचारू रूप से संचालित करने हेतु भारत का राजपत्र क्रमांक सी.जी.–डी.एल.–अ.–05042023–244940 भाग III-खण्ड 4 दिनांक 03 अप्रैल 2023(अधिसूचनाः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) पैरा 12.6 के अनुक्रम में वित्त समिति का गठन का अनुमोदन किया गया। प्राचार्य महोदय द्वारा प्रस्तावित बजट को वित्त समिति के द्वारा पारित करा कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करनें को कहा गया।

Sujata Chaturvedi

8. संस्था में पूर्व सें संचालित कार्यक्रमों एवं नयें कार्यक्रमों हेतु फीस निर्धारण हेतु प्राचार्य सें अध्ययन परिषद् एवं अध्ययन मण्डल की एक बैठक आयोजित करनें को कहा गया जिसकें पश्चात् शासी निकाय की अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करनें को कहा गया।

9. एजेंडा के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार संस्था के प्रवेश एंव परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पादित करानें हेतु नयी ई.आर.पी. (WPCS Pvt. Ltd.) कम्पनी के द्वारा संचालित करानें हेतु के प्रस्ताव को बताया गया एवं जिसका अनुमोदन शासी निकाय के द्वारा प्रदान किया गया।

10. संस्था में प्रवेशित छात्र–छात्राओं को संस्था के द्वारा फ्रीशिप/फेलोशिप/छात्रवृत्ति प्रदान करनें हेतु वित्त समिति के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करनें को कहा गया।

11. शासी निकाय नें प्रचार्य महोदय सें यथाशीघ्र कार्यो का निष्पादन् करतें हुये अग्रिम बैठक को सुनिश्चित करनें हेतु कहा गया जिससें कि विधिवत् आगामी सत्र कों आरम्भ किया जा सकें। प्राचार्य महोदय नें समस्त निर्देशित कार्यो को पूर्ण करनें का आस्वासन देतें हुयें सभी को बैठक में आनें हेतु आभार प्रस्तुत किया गया।

12. बैठक के अंत में शासी निकाय के अध्यक्ष डा. सुजीत चतुर्वेदी जी नें सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त कर बैठक का समापन किया।

(Prof A.K. Vishwakarma)

(Dr. Deepmala Srivastava)

Dr. Ashwani Kumar Gupta

(Manjeet Kr. Yadav)

(Shiv Gopal Pandey)

(Prof. B.P. Singh)

(SATISH CHANDRA PANDEY)

Sujata Chaturvedi

Dr Sujeet Chaturvedi